ग्राम पंचायत हलेड कलां, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1. (क) प्रस्तावना :—

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत हलेड कलां, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री शेर सिंह	25.1.2010 से 22.10.2016
2.	श्रीमति किरण बाला	23.1.2016 से लगातार

सचिव :—

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अनिल कुमार	13.4.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना	विवरणानुसार
2.	7	पंचायत राजस्व की वसूली शेष पाया जाना	0.36
3.	8	अनुदान राशि का अवरोधन	15.17
4.	9	औपचारिकताओं को बिना पूर्ण किए क्रय करने बारे	1.64
5.	10	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	2.22

6.	11	बिल वाउचर न प्रस्तुत करने बारे	0.37
7.	12	निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका को प्रस्तुत न करना	विवरणानुसार

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत हलेड कलां, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगडा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15.7.2016 से 20.7.2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय हलेड कलां में किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए माह 8/13, 1/15 व 2/16 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 7/13, 12/14 व 7/15 को चयनित किया गए।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत हलेड कलां, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 131, दिनांक 20.7.2016 द्वारा सचिव पंचायत हलेड कलां से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत हलेड कलां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत हलेड कलां के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	160227	27759	187986	66686	121310
2014–15	121300	59362	180662	33522	147140
2015–16	147140	113972	261112	255527	5585

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत हलेड कलां के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	395535	3317133	3712668	3348514	364154
2014–15	364154	2648414	3012568	2493909	518659
2015–16	518659	3026852	3545511	2028535	1516976

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	अनुदान का नाम	जमा राशि
1.	KCCB, Kangra	20033029546	MNREGA	04
2.	KCCB, Kangra	20033022813	Sabha funds & other grants	1521986
			कुल जमा राशि	**₹1521990**

<u>बैंक समाधान विवरणः–</u>

(क) दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष (1+2):–	₹1522561
(ख) दिनांक 31.3.2016 को बैंक में कुल जमा राशि	₹1521900
(ग) हस्तगत राशि	₹571
(घ) कुल जमा	**₹15222561**

5. रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–(क) के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–(ख) जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही (मनरेगा को छोड़कर) व अंकेक्षण अवधि में एक ही पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता "क" व "ख" के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 नियमों के विरूद्ध बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु पंचायत द्वारा स्व–स्त्रोत व अनुदानों के लिए एक ही खाता खोला गया था, जबकि स्व–स्त्रोत व अनुदानों के लिए अलग–अलग खातों को खोलना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार बैंक खातों को न खोले के लिए उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को न तैयार करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लेन–देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्धेश्य आय–व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई, परन्तु आय–व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस

बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ वहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–2 में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जबकि सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है, जोकि (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व ₹0.36 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹35600 की वसूली शेष थी, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 127, दिनांक 20.7.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां को अवगत करवाया गया है। अतः उक्त बकाया राशि को वसूलने हेतु ठोस प्रयास किए जाएं।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	25000	25000	50000	–	50000
2014–15	50000	50000	75000	–	75000
2015–16	75000	75000	100000	84400	15600

2. भवनों/दुकानों से किराया :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	5000	12000	17000	5000	12000
2014–15	12000	12000	24000	10000	14000
2015–16	14000	12000	26000	6000	20000

8. अनुदान ₹15.17 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदान ₹1516976 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहत

अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वान्छित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 126 दिनांक 20.7.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.64 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹164403 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 128, दिनांक 20.7.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. क्रय की गई ₹2.22 लाख की निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–4 पर ₹222107 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है, जोकि एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 128, दिनांक 20.7.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम

पंचायत हलेड कलां द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि व उपयोग लेखा तैयार कर आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. ₹37200 के बिल वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के निम्नलिखित बिल व वाउचर अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके आभाव में अंकेक्षण द्वारा व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः निम्न बिल वाउचरों को ढूंड कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा विपरीत स्थिति में उक्त राशि की वसूली दोषी से करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या व माह	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या	राशि
71 से 74	22	₹37200

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को उपलब्ध न करवाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान जांच में निम्नलिखित निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में आवश्यक जांच में प्रस्तुत नहीं की गई। प्राकलन व माप पुस्ताका के आभाव में कार्य की मात्रा, भुगतान की दर व भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। पंचायत सचिव द्वारा केवल एक ही निर्माण कार्य की माप पुस्तिका ही अंकेक्षण उपलब्ध करवाई गई, जबकि उस निर्माण कार्य में गम्भीर आपत्तियां पाई गईं। पैरा 12.1 के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा निम्न निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 129, दिनांक 20.7.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां को अवगत करवाया, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत हलेड कलां द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा इन माप पुस्ताकाओं को जानबूझ कर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया प्रतीत होता है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है।

क्र0 सं0	निर्माण कार्य का विवरण
1.	राजुल कूहल का निर्माण
2.	डंगा नजदीक नटेहड का निर्माण
3.	रास्ता निर्माण चमन के घर से रविन्द्र के घर तक
4.	पाइन लाइन हैण्ड पम्प से माघा राम के घर तक
5.	पाइन लाइन हैण्ड पम्प से ओंकार सिंह के घर तक

6. रास्ता निर्माण हरनाम के घर से सड़क तक
7. साफ–सफाई, बुष कटिंग टैंक शमशानघाट तक
8. साफ–सफाई, बुष कटिंग टैंक से शमशानघाट नटेहड

12.1 निर्माण कार्य का नामः– पुली निर्माण नटेहड

माप पुस्तिका संख्याः– 7988 पृष्ठ 43 व 44

उपरोक्त निर्माण कार्य की जांच करने पर पाया गया कि मद संख्याः 5 में 67.200kg स्टील का प्रयोग किया गया था, जबकि वाउचर संख्याः 20, माह 7/2013 के अनुसार उक्त निर्माण कार्य के लिए 90.200kg स्टील ₹4246 का खरीदा गया था, जबकि 23kg बकाया स्टील को न तो स्टॉक वापिस लिया गया था व न ही अंकेक्षण के दौरान तक इस बकाया स्टील को किसी अन्य कार्य में प्रयोग किया गया था। चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा इस बारे कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, जोकि अनियमित है। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए 23kg स्टील के बराबर की राशि को पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 129, दिनांक 20.7.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्र0 सं0	अभिलेख/रिकॉर्ड का नाम
1.	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2.	मोबाइल टावर रजिस्टर
3.	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
4.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	डाक टिकट रजिस्टर
6.	रोकड़ वही व बैंक पास बुक मिलन सारणी
7.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
8.	खाताबही
9.	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
10.	मस्ट्रोल रजिस्टर

14. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15. विविध अनियमितताएं :–

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

16. लघु आपत्ति विवरणिका :– लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

17. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2),22/2016 खण्ड–1–5544–5547 दिनांकः 21.10. 2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत हलेड कलां, विकास खण्ड कांगड़ा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा, स्थित धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कांगड़ा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''2''

ग्राम पंचायत हलेड कलां, विकास खण्ड कांगड़ा **पैरा संख्या : 6 में सन्दर्भ में**

क्र0 सं0	दिनांक	रोकड़ वही पृष्ठ सं0	राशि ₹
1.	3.7.2013	136	1737
2.	31.8.2013	137	1737
3.	30.9.2013	139	1737
4.	31.12.2013	4	1164
5.	जनवरी 2014	5	18250
6.	जून 2014	12	82728

परिशिष्ट ''3''

ग्राम पंचायत हलेड कलां, विकास खण्ड कांगड़ा **पैरा संख्या : 9 में सन्दर्भ में**

(क) स्वः स्त्रोत + अन्य अनुदानः–

क्र0 सं0	वा0 सं0, माह / वर्ष	रोकड़ वही पृष्ठ सं0	विवरण	राशि ₹
1.	20, 7 / 14	135	सरिया	4246
2.	22, 7 / 14	135	फोटोस्टेट	1200
3.	31, 7 / 14	135	शैटरिंग	6900
4.	33, 7 / 14	136	रेत व बजरी	12000
5.	34, 7 / 14	136	रेत व बजरी	52855
6.	91, 12 / 14	20	रेत व बजरी	12000
7.	95, 12 / 14	20	रेत व बजरी	2300
8.	47, 7 / 15	32	रेत व बजरी	30836
9.	48, 7 / 15	33	रेत	6200

10.	57, 7/15	33	रेत व बजरी	17466
11.	60, 7/15	33	रेत व बजरी	11400
12.	83, 7/15	22(मनरेगा)	शैटरिंग	7000
			कुल जोड़	**₹164403**

परिशिष्ट "4"

ग्राम पंचायत हलेड कलां, विकास खण्ड कांगड़ा पैरा संख्या : 10 में सन्दर्भ में

(क) स्वः स्त्रोत + अन्य अनुदानः–

क्र0 सं0	वा0 सं0, माह/वर्ष	रोकड़ वही पृष्ठ सं0	विवरण	राशि ₹
1.	20, 7/14	135	90.200kg सरिया	4246
4.	33, 7/14	136	6.9cum रेत 13.25 cum बजरी	1200
5.	34, 7/14	136	611.88ft रेत 1232.4ft बजरी	52855
6.	91, 12/14	20	6cum रेत 6 cum बजरी	12000
7.	95, 12/14	20	1.15cum रेत 1.5 cum बजरी	2300
8.	47, 7/15	32	7.85cum रेत 14.87 cum बजरी	23000
9.	48, 7/15	33	3 रेंक	6200
10.	57, 7/15	33	4.54cum रेत 12.56 cum बजरी	17466
11.	60, 7/15	33	200ft रेत 1.56 ft बजरी	11400
12.	85 से 88, 12/14	23	320 बैग सीमेंट (मनरेगा)	80640
			कुल जोड़	**₹222107**